



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2012/पौष 29, 1933
No. 20] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2012/PAUSA 29, 1933

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 34(अ).—जबकि दिनांक 25 मार्च, 2011 को भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में भारत सरकार की दिनांक 25 मार्च, 2011 की अधिसूचना, नागर विमानन मंत्रालय, सा.का.नि. 109 के द्वारा वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14 द्वारा यथोपेक्षित वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2011 का कतिपय प्रारूप प्रकाशित किया गया था जिसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पैंतालीस दिन की अवधि के समाप्त होने से पहले इस प्रारूप से प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि, उक्त नियमों के प्रारूप पर जनता की ओर से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतएव, अब वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 5 के साथ पठनीय है। धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है :—

भाग - 1 प्रारंभिक

1. लघु शीर्ष, विस्तार और आरंभ - (1) इन नियमों को वायुयान (सुरक्षा) निमयावली 2011 कहा जाएगा।
 - (2) इन नियमों का विस्तार समस्त भारत पर होगा और ये निम्न पर भी लागू होंगे -
 - (क) भारत में पंजीकृत किसी विमान, और किसी ऐसे प्रचालक - जिसका प्रधान व्यवसाय स्थल या स्थायी निवास स्थान भारत में हो - द्वारा प्रचालित किसी वायुयान पर सवार व्यक्तियों पर, चाहे वे कहीं भी हों,
 - (ख) भारत में सभी विमान।
 - (3) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि इस विषय या संदर्भ में कोई भी बात प्रतिकूल न हो -
 - (क) "अधिनियम का अर्थ है वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22);
 - (ख) "एयरोड्रोम प्रचालक" का अर्थ है किसी एयरोड्रोम के प्रचालन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, संगठन या उद्यम;
 - (ग) "एयरोड्रोम प्रवेश परमिट" का अर्थ है सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा या केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा एयरोड्रोम या किसी एयरोड्रोम के भाग में प्रवेश हेतु जारी फोटो पहचान-पत्र, स्मार्ट कार्ड या अस्थायी परमिट;
 - (घ) "हवाईअड्डा प्रचालक" का अर्थ है हवाई अड्डा प्रचालन में संलिप्त या संलिप्त होने के लिए ऑफर करने वाला कोई कथित, संगठन या उद्यम;
 - (ङ) "गैर-कानूनी हस्ताक्षेप के कृत्य" का अर्थ है नागर विमानन और हवाई परिवहन की संरक्षा को ध्वस्त करने वाले हृदय या प्रयास, जिनमें शामिल है :-

- (i) उडान में वायुयान का गैर-कानूनी कब्जा,
- (ii) भूमि पर वायुयान का गैर-कानूनी कब्जा,
- (iii) वायुयान में उडान के दौरान या एयरोड्रोमों पर बंधक बनाया जाना,
- (iv) किसी वायुयान में उडान के दौरान या किसी एयरोड्रोम पर या किसी वैमानिकी सुविधा परिसर में बलपूर्वक घुसपैठ;
- (v) किसी वायुयान में उडान के दौरान या किसी एयरोड्रोम पर कोई हथियार या खतरनाक यंत्र या अपराधिक प्रयोजनार्थ अभिप्रेत सामग्री ले जाना;
- (vi) उडान के दौरान या भूमि पर किसी वायुयान की, किसी एयरोड्रोम पर या किसी नागर विमानन सुविधा परिसर पर यात्रियों, कर्मियों, भू-वार्तिक या आम जनता की संरक्षा को ध्वस्त करने के उद्देश्य से झूठी सूचना का संप्रेषण;
- (च) "एयर साइड " का अर्थ है किसी एयरोड्रोम का आवागमन क्षेत्र, सटा हुआ भू-भाग और भवन या उसका कोई भाग जिस पर नियंत्रण किया गया हो;
- (छ) "आयुक्त " का अर्थ है सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन मंत्रालय; जो अनुबंध-17 की अपेक्षाओं के लिए उपयुक्त प्राधिकारी होगा।
- (ज) "विमानन सुरक्षा समूह" का अर्थ है किसी विशेषज्ञता प्राप्त सरकारी एजेंसी की एक इकाई जिसे आयुक्त द्वारा गैर कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन की सुरक्षा तथा नागर विमानन को संभालने वाले एयरोड्रोम पर संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्राधिकृत किया गया हो;
- (झ) "केबिन बैगेज" का अर्थ है किसी वायुयान के केबिन में वहन के लिए अभिप्रेत कोई बैगेज;
- (ट) "अभिसमय" का अर्थ है 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित अभिसमय;
- (ठ) "एक्सप्रेस कार्गो" का अर्थ है डाक से इतर तथा यात्रियों या कर्मियों से स्वैच्छिक रूप रूप से या अनजाने में अलग हो गई या साथ की वस्तुएं - जिन्हें किसी वायुयान प्रचालक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लाया ले जाया जाना अपेक्षित होता है;

- (ठ) "उड़ान में सुरक्षा अधिकारी" से किसी विधि विरुद्ध हस्तक्षेप की कार्रवाई के विरुद्ध वायुयान में सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा वायुयान में तैनात सुरक्षा कार्मिक अभिप्रेत है।
- (ड) "डाक" से डाक प्रशासन द्वारा और उनके वितरण के लिए आशयित पत्रकार का संवाद और अन्य वस्तुएं अभिप्रेत हैं;
- (ढ) "आवागमन क्षेत्र" से किसी विमान क्षेत्र का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो किसी वायुयान के भूतल आवागमन के लिए आशयित है और जिसके अन्तर्गत मैन्यूवरिंग एरिया तथा एप्रन भी हैं;
- (ण) "राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम" से केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अभिसमय के किसी भी उपाबंध को प्रभावी बनाने के निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम अभिप्रेत है;
- (त) "अधिकारी" से भारत सरकार द्वारा किसी भी कार्यालय में नियुक्त या नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (थ) "प्रतिषेध वस्तु" से कोई वस्तु जिसे गैर कानूनी हस्तक्षेप का कोई कृत्य करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता हो और जिसे उपयुक्त तरीके से घोषित न किया गया हो,
- (द) "सार्वजनिक विमान क्षेत्र" से ऐसा विमान क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे व्यापक रूप से जनता द्वारा उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति दी गई हो;
- (ध) "विनियमित अभिकर्ता" से कोई अभिकर्ता, माल अग्रेषक या कोई अन्य अस्तित्व अभिप्रेत है जो किसी प्रचालक के साथ कारबार करता है और वे सुरक्षा नियंत्रण उपलब्ध कराता है, जो वायु द्वारा परिवहन के संबंध में कार्गो, कूरियर तथा एक्सप्रेस पार्सल या डाक के संबंध में आयुक्त द्वारा स्वीकृत या अपेक्षित हो;
- (न) "स्क्रीनिंग" से तकनीकी या अन्य माध्यम का अनुप्रयोग अभिप्रेत है जो शस्त्रों, विस्फोटकों या अन्य खतरनाक युक्तियों की पहचान करने या पता लगाने के लिए अभिप्रेत हो जिनका प्रयोग नागर विमानन में विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के लिए उपयोग किया जा सकता हो;
- (प) "सुरक्षा" से विधिविरुद्ध हस्तक्षेप की कार्रवाइयों के विरुद्ध नागर विमानन रक्षोपाय के आशय से उपायो, मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का संयोजन अभिप्रेत है;

(फ) "सुरक्षा दुर्घटना" से कोई ऐसी घटना जिसका परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर उपहति या सम्पत्ति की प्रमुख क्षति अभिप्रेत है;

(ब) "सुरक्षा क्लीयरेंस" से किसी वायुयान, व्यक्ति या वस्तु के संबंध में राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट सुरक्षा नियंत्रणों का अनुपालन अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण :- इस खंड के प्रयोजन के लिए "गंभीर उपहति" का आशय वही होगा जो भारतीय दंड संहिता 1860 में है;

(भ) "सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र" से किसी हवाईअड्डे के एयर साइड के क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिनमें नागर विमानन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रवेश नियंत्रित किया जाता है, इन क्षेत्रों में स्क्रीनिंग चेक प्वाइंट और विमान के बीच के यात्री क्षेत्र, रैम्प, बैगेज मार्क अप एरिया, कार्गो शैड, डाक केन्द्र, एयर साइड केटरिंग और विमान सफाई परिसर शामिल हैं;

(म) "सुरक्षा घटना" से नागर विमानन सुरक्षा के संबंध में कोई घटना अभिप्रेत है जो भूमि या उड़ान के दौरान हुई जिसके परिणामस्वरूप-

- (i) किसी व्यक्ति को चोट लगे, सम्पत्ति को क्षति हो, आग से या किसी प्रकार की क्षति हो;
- (ii) सुरक्षा नियमों, विनियमों, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम और अधिनियम के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के उल्लंघन तथा भंग हुई हो;

(म) "सुरक्षा नियंत्रण" से वह पद्धति अभिप्रेत है जिसके द्वारा, आयुध, विस्फोटकों तथा अन्य खतरनाक युक्तियां, वस्तु या प्रदार्थों, जिन्हें किसी विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है, को रोका जा सके;

(य) "सुरक्षा कार्यक्रम" से आयुक्त द्वारा लिखित विशिष्ट उपाय अभिप्रेत है जिन्हें विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्य के विरुद्ध नागर विमानन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसी अस्तित्व द्वारा अंगीकृत किया जाना है।

(यक) "टर्मिनल" से वह भवन या भवनों का ऐसा समूह अभिप्रेत है जहां यात्रियों, सामान, कार्गो, कूरियर बैगों आदि की स्क्रीनिंग और वायुयानों में बोर्डिंग की जाती है और इसके अन्तर्गत आगमन भवन भी हैं;

(यख) "लावारिस सामान" से किसी विमान क्षेत्र पर सामान टैग लगा हुआ या उसके बिना सामान अभिप्रेत है जिसे किसी यात्री या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उठाया या पहचाना नहीं गया है;

(श) "अत्यावश्यक संस्थापन " से विमान क्षेत्र पर या उससे जुड़ी हुई कोई सुविधा यदि क्षतिग्रस्त या नष्ट होने पर विमान क्षेत्र का कार्यकलाप गंभीर रूप से ह्रासित हो जाएँ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. आयुक्त के कर्तव्य - (1) आयुक्त, -

- (क) उड़ानों की संरक्षा, नियमितता और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए विधिविरुद्ध कृत्यों तथा खतरे की संभावनाओं के विरुद्ध नागर विमानन प्रचालनों के रक्षोपाय से संबंधित अभिसमय के उपबद्ध-17 के उपबंधों के संगत राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम को स्थापित, विकसित, क्रियान्वित, अनुरक्षित, और पुनरीक्षित करना;
- (ख) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करना;
- (ग) किसी भी बढ़ते हुए सुरक्षा संबंधी खतरे का सामना करने के लिए त्वरित जवाबी कार्रवाई करना;
- (घ) राज्य सरकार के विभागों, अभिकरणों और अन्य संगठनों, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन से संबंधित या इसके लिए उत्तरदायी विमान क्षेत्र तथा वायुयान प्रचालकों और अन्य अस्तित्वों के मध्य क्रियाकलापों को परिभाषित करना तथा इन्हें कार्य आबंटित करना और उनके मध्य समन्वय स्थापित करना;
- (ङ.) देश के विभागों, अभिकरणों और अन्य संगठनों, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन से संबंधित या इसके लिए उत्तरदायी विमान क्षेत्र और वायुयान प्रचालकों तथा अन्य अस्तित्वों के बीच सुरक्षा गतिविधियों का समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा समिति की स्थापना करना या ऐसे ही समान व्यवस्थाएं इंतजाम करना;
- (च) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन में अंतर्वलित या इसके लिए उत्तरदायी सभी अस्तित्वों के कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण

कार्यक्रम को स्थापित, विकसित तथा क्रियान्वित करना जिन्हें उक्त सुरक्षा कार्यक्रम की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है;

- (छ) नागर विमानन क्षेत्र में सेवारत प्रत्येक विमान क्षेत्र पर एक ऐसे प्राधिकारी को पदानित करना जो सुरक्षा नियंत्रणों के क्रियान्वयन का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ज) विमानक्षेत्र सुरक्षा कार्यक्रम में यथानिर्दिष्ट सुरक्षा नियंत्रणों और कार्यवाहियों के क्रियान्वयन के समन्वय के लिए नागर विमानन क्षेत्र में सेवारत प्रत्येक विमान क्षेत्र पर विमान क्षेत्र सुरक्षा समिति स्थापित करना;
- (झ) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम की प्रभावी अनुपालन अवधारित करने और इसे विधिमान्यकरण करने के लिए एक राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम विकसित, क्रियान्वित तथा अनुरक्षित करना;
- (ट) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुपालन सत्यापन करने और किसी भी कमी का तत्काल तथा प्रभावी रूप से सुधार करने के लिए नियमित आधार पर सुरक्षा संपरीक्षा, जांच, सर्वेक्षणों तथा निरीक्षणों के लिए व्यवस्था करना;
- (ठ) संदर्भित राष्ट्रीय सुरक्षा अभिकरणों द्वारा किए गए किसी सुरक्षा जोखिम आकलन के आधार पर इसके राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के संदर्भित कारकों के सामंजस्य की नीतियों और कार्यान्वयन तथा प्रक्रिया की स्थापना;
4. **अपील** - इन नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा यदि व्यथित कोई व्यक्ति इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के पास अपील कर सकेगा।

भाग-2 विमान क्षेत्र पर सुरक्षा उपाय

5. **विमानक्षेत्र सुरक्षा अपेक्षाएं का नियोजन, डिजाईन तथा ले-आउट.** - (1) विमान क्षेत्र का नियोजन, डिजाईन और अभिविन्यास राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम में उपबंधित विनिर्देशों के अनुरूप होगा जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, -
- (क) यात्रियों, यात्री सामान, स्थोरा, कुरियर तथा त्वरित पार्सल, डाक और खान-पान भंडार तथा प्रदाय के लिए अनुप्रयुक्त सुरक्षा नियंत्रण;

- (ख) वायु पार्श्व पर पहुंच, सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्रों तथा अन्य संवेदनशील विमान क्षेत्रों और सुविधाओं का संरक्षण तथा नियंत्रण;
- (ग) सुरक्षा उपस्करों का उपयोग; और
- (घ) स्थापत्य तथा अवसंरचना संबंधी अपेक्षाएं।
- (2) प्रत्येक विमान क्षेत्र प्रचालक आयुक्त द्वारा किए गए सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन के अनुसार नागर विमान के सेवारत विमान क्षेत्र पर सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र स्थापित करेगा।
- (3) विमान क्षेत्र प्रचालक नई सुविधाओं के डिजाइन तथा निर्माण के एकीकरण द्वारा राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम में उल्लिखित विमान क्षेत्र डिजाइन बनाएगा और आयुक्त से लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात विमान क्षेत्र के विद्यमान डिजाइन तथा सुविधाओं में परिवर्तन करेगा।
6. **विमान क्षेत्र परिधि** - प्रत्येक विमान क्षेत्र प्रचालक, विमान क्षेत्र के आसपास के चारों ओर 0.457 मीटर (डेढ़ फुट) की उपर वाली कंटीली तार युक्त 2.438 मीटर (8 फुट) की ऊंचाई की परिधि का निर्माण करेगा :

परंतु आयुक्त किसी प्रकार के खतरे या किसी अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए परिधि दीवार के विनिर्देशनों को वृद्धि कर सकेंगे।

7. **गश्त और परिवेक्षण चौकियों के लिए प्रकाश तथा सड़क का उपबंध** - विमान क्षेत्र प्रचालक पर निम्नलिखित सुरक्षा व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात:-

- (क) परिधि और किसी अन्य संवेदनशील क्षेत्र के लिए प्रकाश;
- (ख) सुरक्षा कार्मिकों के गश्त के लिए सभी मौसमों के लिए सड़क; तथा
- (ग) सुरक्षा कार्मिकों के संप्रेषण तथा कमांड चौकियों की व्यवस्था :

परंतु आयुक्त, सुरक्षा बोध को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए जो उपयुक्त समझें, लिखित रूप में आदेश करेगा।

8. **विमान क्षेत्र सुरक्षा कार्यक्रम** - आयुक्त के अनुमोदन से प्रत्येक विमान क्षेत्र प्रचालक, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम की अपेक्षाओं के अनुरक्षण में विमान क्षेत्र सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करेगा और उसको कार्यान्वित करेगा तथा ऐसे कार्यक्रम में कोई संशोधन आयुक्त से अनुमोदन के पश्चात होगा।

9. **विमानक्षेत्र पर प्रचालन के लिए सुरक्षा क्लियरेंस** - (1) कोई भी विमान क्षेत्र प्रचालक, आयुक्त से सुरक्षा व्यवस्थाओं अनापत्ति और विमान क्षेत्र सुरक्षा कार्यक्रम के लिए अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी भी विमान क्षेत्र पर प्रचालन आरंभ नहीं करेगा।
- (2) जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि किसी विमान क्षेत्र के प्रचालक ने इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया है या वह इनका अनुपालन करने में असफल रहा है, तो वह सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और कारणों को अभिलिखित करके उसके द्वारा प्रदत्त या अनुमोदित सुरक्षा अनापत्ति तथा सुरक्षा कार्यक्रम को निलंबित या निरस्त कर सकेगा।
10. **लावारिस व संदेहास्पद यात्री सामान की उठाई-धराई** - यह विमान क्षेत्र प्रचालक -
- (क) संदिग्ध या लावारिस यात्री सामान को रखने के लिए सुरक्षित या पार्थक्य क्षेत्र का संनिर्माण और अनुरक्षण करना, और
- (ख) उसका अन्वेषण करना और इसका निपटान करना।
11. **विमान क्षेत्र पर कारबार स्थापन** - कोई विमान क्षेत्र प्रचालक, आयुक्त से इस संदर्भ में सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त किए बिना विमान क्षेत्र के सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्र में किसी कारबार स्थापना की स्थापना करने के लिए अनुमति नहीं देगा:
- परंतु, जहां कोई कारबार स्थापन, आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्र में स्थापित है, कारबार स्थापन का स्थायी राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसरण में कारबार स्थापना सुरक्षा कार्यक्रम बनाएगा और अनुपालन करेगा।
12. **विमानक्षेत्र प्रचालक के स्वामित्व की सुविधाओं का संरक्षण** - प्रत्येक विमान क्षेत्र प्रचालक उसके स्वामित्व की अति आवश्यक संस्थापनाएं जिसके अन्तर्गत तकनीकी और रख-रखाव, विद्युत आपूर्ति, विद्युत उप गृह, नियंत्रण टावर्स और दूसरे भवनों जो वायुयातायात सेवाओं और संचार सुविधाओं द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, को चिह्नित करना और उनकी रक्षा करना।
13. **विमानन सुरक्षा समूह** - (1) प्रत्येक विमान क्षेत्र प्रचालक, सरकारी सुरक्षा अभिकरण के कार्मिकों की ऐसी संख्या में नियोजित करेगा जो इन नियमों के अधीन समनुदेशित सुरक्षा कर्तव्यों के अनुपालन के लिए आयुक्त द्वारा अवधारित की जाए।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त कार्मिक विमानन सुरक्षा समूह के रूप में अभिहित होंगे और ऐसे समूह के मुख्य विमान क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी के रूप में अभिहित होंगे।

- (3) विमानन सुरक्षा समूह विमान क्षेत्र प्रभारी के साधारण पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन कार्य करेगा।
- (4) विमान क्षेत्र प्रचालन, विमानन सुरक्षा समूह को ऐसी सुविधाएं और सहायता उपलब्ध कराएगा जो आयुक्त द्वारा अनुमोदित की जाए।
- (5) अपात परिस्थितियों में, आयुक्त, विमानन सुरक्षा समूह की तैनाती में आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा।
14. **मुख्य विमानक्षेत्र सुरक्षा अधिकारी के कार्य.** - मुख्य विमान क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी को निम्नलिखित कर्तव्यों का अनुपालन करना होगा, अर्थात् : -

48. उसे यात्रियों, कर्मिंदल, भू कर्मिकों और अन्य विमान क्षेत्र प्रयोक्ताओं, वायुयान, विमान क्षेत्र तथा अत्यावश्यक संबंधित सुविधाओं जिसके अन्तर्गत अत्यावश्यक संस्थापन भी हैं, की सुरक्षा करना;

- (ii) विमान क्षेत्र के प्रतिबंधित क्षेत्रों में पहुंच नियंत्रण उपायों को लागू करना;
- (iii) परिधि की सुरक्षा;
- (iv) यात्रियों तथा उनके हाथ के यात्री सामान की स्क्रीनिंग करना;
- (v) विमान क्षेत्र के भीतर तथा आसपास के क्षेत्र की निगरानी करना;
- (vi) कार पार्क, दृश्य गैलरी, विमान क्षेत्र जलपान गृह आदि तथा संचलन क्षेत्र के समीप के क्षेत्रों सहित सुरक्षा उपायों को लागू करना;
- (vii) सुरक्षा उपायों को लागू करना;
- (viii) विमान क्षेत्र परिसरों में व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखना;
- (ix) प्रतिबंधित क्षेत्रों में व्यक्तियों के आवागमन का पर्यवेक्षण करना;
- (x) स्थानीय पुलिस तथा आसूचना एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखना; और
- (xi) आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कर्तव्यों को करना।
15. **भूमि उठाई-धराई सेवा** - किसी विमान क्षेत्र में भी भूमि उठाई-धराई सेवा प्रदाता को आयुक्त से सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त किए बिना और अपने सुरक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन के बिना भूमि उठाई-धराई सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं हो।

16. **आकस्मिक योजना -**

(1) विमान क्षेत्र प्रचालक विधिविरुद्ध हस्तक्षेपों के कृत्यों से निपटने के लिए आयुक्त के अनुमोदन से आकस्मिक योजना बनाएगा।

(2) आकस्मिक योजना का परीक्षण आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किए अनुसार नियमित अवधियां पर किया जाएगा।

17. उच्चखल यात्रियों को वायुयान से उतारना - मुख्य विमान क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत विमानन सुरक्षा समूह का कोई अन्य अधिकारी समादेशक पायलोट के किसी लिखित अनुरोध पर यात्रियों तथा कर्मिंदल की सुरक्षा तथा संरक्षा के जोखिम के आधार पर किसी व्यक्ति को वायुयान से नीचे उतार सकता है।

भाग-3 - विमान क्षेत्र पहुंच नियंत्रण

18. विमान क्षेत्र में प्रवेश. - (1) विमान क्षेत्र में केवल प्रवेश टिकट या विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट धारक व्यक्तियों को ही विमान क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति होगी।

- (2) विमान क्षेत्र में प्रवेश करने का टिकट विमान क्षेत्र प्रचालक द्वारा जारी होंगे।
- (3) आयुक्त द्वारा विमान क्षेत्र परमिट संभव रूप से सत्यापन करने के पश्चात जारी किया जाएगा।
- (4) केन्द्रीय सरकार, आयुक्त या विमान क्षेत्र प्रचालक या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे प्रवेश टिकट या विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट जारी करने का निदेश दे सकेगी।
- (5) किसी व्यक्ति को प्रवेश टिकट या विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट प्राप्त किए बिना विमान क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
- (6) धारक द्वारा विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट को ड्यूटी के दौरान प्रत्येक समय कमर से ऊपर के स्तर पर सहज दृश्य रूप से प्रदर्शित करेगा।
- (7) कोई व्यक्ति-

(क) किसी पशु, पक्षी या वस्तु को न छोड़ेगा या न फेंकेगा और न ही किसी से फिकवाएगा,

(ख) न ही अपने कब्जे या नियंत्रण के अधीन किसी पशु को भ्रमण कराएगा, और

(ग) संचलन क्षेत्र में आयुक्त से प्रवेश परमिट लिए बिना किसी वाहन को प्रचालन नहीं करेगा :

परंतु, इसके अलावा वायुयान में सवार होने वाले, वायुयान से उतरने वाले या ट्रांजिट की प्रक्रिया के समय वायुयान टिकट धारकों या कोई व्यक्ति जो विमान क्षेत्र में नियमित ड्यूटी पर नियोजित है और आयुक्त द्वारा जारी विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट रखता है, को प्रवेश टिकट या प्रवेश परमिट प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होगी;

- (8) आयुक्त या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट की समाप्ति या निरस्त होने या व्यक्ति को सेवा के पर्यवसान पर, जिसे यह जारी किया गया है विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट वापस करना होगा।

- (9) इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी, विमान क्षेत्र प्रचालक या आयुक्त, को यदि यह समाधान हो जाता है कि उसे ऐसा करना सुरक्षा के हित में अपेक्षित या समीचीन है :
- (i) किसी व्यक्ति को विमान क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इंकार कर सकेगा;
- (ii) किसी व्यक्ति को विमान क्षेत्र से बाहर करना अपेक्षित है।
19. **सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्र में प्रवेश.** - (1) विमान क्षेत्र प्रचालक, प्रत्येक विमान क्षेत्र पर सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्रों में वायुयान से या तक व्यक्तियों तथा यानों के संचलन के लिए व्यवस्था करेगा।
 (2) सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्रों में पहुंच की अनुज्ञा देने से पूर्व, विमानन सुरक्षा समूह द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, यान, यात्री सामान, माल-असबाब या प्रदाय की स्क्रीनिंग की जाएगी।
 (3) सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र में यानों के प्रवेश की अनुमति प्रवेश परमिट या आयुक्त से विशेष अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही होगी।
20. **शस्त्र या विस्फोटकों को ले जाने पर प्रतिषेध** - (1) किसी व्यक्ति को विमान क्षेत्र या वायुयान में आयुध, गोला-बारुद या विस्फोटकों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी:

परंतु इस उपनियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे, -

- (i) विमानन सुरक्षा समूह, सशस्त्र बल और पुलिस कार्मिक को आयुध या गोला बारुद अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित हो; और
- (ii) आयुक्त किसी व्यक्ति को नकली शस्त्र, विस्फोटक, या विस्फोटक युक्ति या कोई अन्य नकली प्रतिबंधित वस्तु को, विमानन सुरक्षा की कुशलता की जांच करने के उद्देश्य से, सम्यक रूप से प्राधिकृत कर सकेगा।

भाग - 4- आरोहण पूर्व सुरक्षा जांचें

21. **आरोहण से पूर्व सुरक्षा जांच** - (1) आरोहण पूर्व, किसी वायुयान में यात्रा आरंभ करने वाले प्रत्येक यात्री और आंतरिक यात्री तथा हस्त यात्री सामान, यदि कोई हो, विमानन सुरक्षा समूह के किसी अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्क्रीनिंग किए जाएंगे।
- (2) उपनियम (1) के उपबंध केवल पारगमन यात्रियों पर ही लागू होंगे यदि वे वायुयान से उतर रहे हैं:

परन्तु उपनियम (1) और इस नियम के उपबंध ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें विशेष आदेश द्वारा आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

- (3) विमानन सुरक्षा समूह तथा विमान क्षेत्र प्रचालक यात्री और उनका कैबिन यात्री सामान की स्क्रीनिंग बिन्दु से उसके वायुयान में पहुंचाने तक किसी प्रकार अप्राधिकृत हस्तक्षेप से संरक्षित रखें।
22. **स्क्रीनरों का प्रमाणन** - स्क्रीनिंग कर्तव्य का ऐसे अधिकारी द्वारा अनुपालन होगा जिसे आयुक्त द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
23. **कतिपय माल को ले जाने पर प्रतिषेध** - (1) आयुक्त, कतिपय माल के व्यक्ति पर या किसी यात्री या कर्मिंदल सदस्य द्वारा केबिन यात्री सामान में ले जाने के लिए लिखित में प्रतिबंधित कर सकेगा, जो कि उसकी राय में जिसे नागर विमानन में विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के लिए उपयोग किए जाने की सम्भावना है।
- (2) जहां स्क्रीनिंग के दौरान किसी प्रतिबंधित माल के होने का पता चलता है तो ऐसे यात्री को वायुयान में प्रवेश की अनुज्ञात नहीं होगा और इन नियमों तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

भाग 5 - वायुयान प्रचालकों द्वारा सुरक्षा उपाय

24. **सुरक्षा कार्यक्रम** - प्रत्येक वायुयान प्रचालक, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसरण में, आयुक्त के अनुमोदन से वायुयान प्रचालक सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करेगा तथा उसका अनुपालन ऐसे करेगा और कार्यक्रम में कोई भी संशोधन आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा।
25. **प्रचालन के लिए सुरक्षा निर्वाधन** - (1) कोई वायुयान प्रचालक किसी विमान क्षेत्र पर सुरक्षा इंतजामों के निर्वाधन और आयुक्त से नियम 24 के अधीन विमान प्रचालन सुरक्षा कार्यक्रम की स्वीकृति प्राप्त किए बिना प्रचालन नहीं करेगा।
- (2) जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि कोई वायुयान प्रचालक इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन कर रहा है या अनुपालन करने में असफल है, वह उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और कारणों को लेखबद्ध करके उसे अनुदत्त या अनुमोदित सुरक्षा निर्वाधन और सुरक्षा कार्यक्रम को निलंबित या रद्द कर सकेगा।

26. **स्टाफ की तैनाती** - कोई वायुयान प्रचालक उन्हीं कार्मिकों को सुरक्षा कर्तव्यों के लिए नियुक्त करेगा जो पूर्णकालिक कर्मचारी हो, जिसके चरित्र और पूर्ववृत्त को सत्यापन किया जा चुका हो और जिन्हें, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसरण में उचित प्रशिक्षण, चयन प्रक्रिया और प्रमाणन के पश्चात नियुक्त किया गया हो ।
27. **वायुयान की सुरक्षा तलाशी** - कोई वायुयान प्रचालक निम्नलिखित में अपने वायुयान की सुरक्षा तलाशी करेगा -
- (क) सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्र में ले जाने से पहले, और
- (ख) अवरोहण के बाद यात्रियों के प्रवेश कराने से पहले तथा अवरोहण के पश्चात ।
28. **वायुयान में पहुंच नियंत्रण** - (1) वायुयान प्रचालक वायुयान में पहुंच और प्रस्थान को सुरक्षा जांच से निगरानी बनाए रखेगा ।
- (2) वायुयान प्रचालक निम्न द्वारा गैर-प्रचालिक वायुयान का नियंत्रण रखेगा -
- (i) केबिन का दरवाजा बंद करके;
- (ii) एयरोब्रिजेज और अधर सीडिया को सुरक्षित करके, वापस लाकर और पीछे करके, और
- (iii) हस्तक्षेप सुस्पष्ट मुद्रांकित दरवाजे
29. **चालक स्थान के दरवाजे को बन्द करना** - प्रत्येक वायुयान प्रचालक :-
- (क) उड़ान की सभी दशाओं में वायुयान के चालक स्थल के दरवाजे बंद रखेगा, जब तक कि इसे प्रचालन कारणों के लिए खोला जाना अपेक्षित न हो;
- (ख) केबिन कर्मीदल और उड़ान के दौरान उड़ान कर्मीदल के बीच संचार प्रणाली की स्थापना तथा अनुरक्षण; और
- (ग) चालक स्थान की पहुंच नियंत्रण का उत्तरदायित्व समादेशक पाइलोट को समनुदेशित करना ।
30. **उड़ान में सुरक्षा अधिकारी की तैनाती** - (1) वायुयान प्रचालक, किसी यात्री वायुयान में इतनी संख्या में उड़ान सुरक्षा अधिकारी को ले जा सकेंगे जितने आयुक्त द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट किए जाए।

(2) वायुयान प्रचालक समादेशक पायलोट को सशस्त्र कार्मिकों की संख्या तथा उनकी सीट स्थिति के बारे में घोषणा करेंगे ।

31. धारित यात्री सामान के सुरक्षा नियंत्रण - वायुयान प्रचालक या वायुयान क्षेत्र प्रचालक, धारित यात्री सामान की स्क्रीनिंग और सुरक्षा इस प्रकार करेंगे जो समय-समय पर आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

32. धारित यात्री सामान की पहचान तथा पुनर्मिलाप - धारित यात्री सामान की पहचान और पुनर्मिलाप ऐसी रीति में करेगा जो कि समय-समय पर आयुक्त द्वारा लिखित रूप में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

33. अंतरित यात्री सामान - वायुयान प्रचालक अंतरित धारित यात्री सामान को वायुयान में लाये जाने से पहले स्क्रीनिंग करेगा:- परंतु उद्भव के बिन्दु पर धारित यात्री सामान की स्क्रीनिंग की जाएगी और तत्पश्चात उसे उद्भव वायुयान क्षेत्र से प्रस्थानकर्ता वायुयान में विधिविरुद्ध हस्तक्षेप से सुरक्षित करके स्क्रीनिंग के अध्यक्षीन न रहते हुए अंतरित वायुयान क्षेत्र को ले जाया जाएगा ।

34. वायुयान में कैदियों का वहन. - वायुयान प्रचालक किसी कैदी को ऐसी रीति से वहन करेगा जो कि आयुक्त द्वारा लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

35. स्थोरा, डाक, खान-पान के मद और अन्य भंडार - वायुयान प्रचालक उड़ान में स्थोरा, डाक, खान-पान मदों और अन्य भंडार तथा प्रदाय ऐसी रीति से स्वीकृत करेगा जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

36. वायुयान का निरोध - आयुक्त या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत को कोई अन्य व्यक्ति, कारणों को लेखबद्ध करके, किसी वायुयान का निरोध कर सकेगा यदि उसकी राय में, -

(क) वायुयान पर उड़ान में अनाधिकृत शस्त्र, विस्फोटक या अन्य विध्वंसक युक्तियाँ हों जिनसे उस वायुयान की सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो; या

(ख) वायुयान पर उड़ान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अनधिकृत रीति से वायुयान में प्रवेश प्राप्त किया है या जिससे नागर विमानन प्रचालनों के साथ विधिविरुद्ध हस्तक्षेप होने की संभावना है; या

(ग) इन नियमों के किसी भी उपबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरोध आवश्यक है ।

भाग 6 स्थोरा, कूरियर थैले, डाक और विनियमित अभिकर्ता

37. **स्थोरा और कूरियर थैलों के लिए सुरक्षा नियंत्रण - (1)** किसी वायुयान पर वहन करने के आशय से कोई स्थोरा पर यात्रियों के किसी भी त्वरित स्थोरा या कूरियर थैलों को उन नियमित कर्मचारियों द्वारा प्राप्त, प्रसंस्कृत और उठाई-धराई की जाएगी, जिन्हें वायुयान प्रचालक के या आयुक्त द्वारा लिखित रूप से आदेश द्वारा किसी अन्य एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसरण में प्रशिक्षित किया गया है।

(2) सुरक्षा नियंत्रण किए बिना, जिसके अन्तर्गत एक्स रे स्क्रीनिंग या भौतिक तलाशी जांच भी है, किसी स्थोरा को वायुयान में लादा नहीं जाएगा:

परंतु आयुक्त लिखित आदेश द्वारा किसी भी स्थोरा, त्वरित स्थोरा या कूरियर थैलों को उस नियम के उपबंध से छूट दे सकेगा।

38. **कूरियर अभिकरण की रजिस्ट्री -** कोई वायुयान प्रचालक किसी भी अभिकरण से परिवहन के लिए कोई भी कूरियर थैले स्वीकार नहीं करेगा जब तक ऐसा अभिकरण, -

(क) अपने वायुयान प्रचालक के साथ रजिस्ट्रीकृत न हो; और

(ख) आयुक्त द्वारा कोई सुरक्षा कार्यक्रम न बना करके और इसको अनुमोदित करवाकर अनुपालन न कर ले।

39. **साथ ले जाए जा रहे थैलों की पहचान या पुनर्मिलाप -** साथ ले जाए जा रहे कूरियर थैलों की पहचान या पुनर्मिलाप का कार्य किसी वायुयान प्रचालक द्वारा इस रीति से किया जाएगा जो विनिर्दिष्ट आयुक्त द्वारा समय-समय पर किया जाए।

40. **कतिपय मालों के वहन का प्रतिबंध - (1)** आयुक्त, लिखित आदेश द्वारा कतिपय मालों को स्थोरा, या कूरियर थैलों या डाक माध्यम से वहन को प्रतिबंध कर सकेगा।

(2) प्रतिबंधित वस्तुओं वाले परेषणों को वायुयान में लादा नहीं जाएगा।

41. **सुरक्षा से निर्वाधन स्थोरा या डाक या कूरियर थैलों आदि का संरक्षण -**

वायुयान प्रचालक या वायुयान क्षेत्र प्रचालक या कोई अन्य अभिकरण जो इसमें से किसी के लिए कार्य कर रहा हो, स्थोरा या कूरियर थैलों की स्क्रीनिंग और संरक्षण इस रीति से करेगा जो आयुक्त द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

42. **विनियमित अभिकर्ता -** वायुयान प्रचालक, वायु द्वारा वहन को स्थोरा, कूरियर या डाक के लिए विनियमित अभिकर्ता नियुक्त कर सकेंगे, जो समय-समय पर आयुक्त द्वारा अधिक्रमित प्रक्रिया के अनुसार, कृत्य करेगा।

भाग 7 - खान-पान, प्रदाय और भंडारण

43. **खान-पान प्रदाय - (1)** कोई व्यक्ति, आयुक्त से सुरक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन प्राप्त किए बिना, वायुयान में लादने के लिए कोई भी खान-पान मदों का प्रदाय नहीं करेगा।

(2) जहां आयुक्त द्वारा यह समाधान हो जाता है कि खान-पान संस्थापनों के स्वामी या प्रचालक, उपनियम (1) का उनके सुरक्षा कार्यक्रम को, उल्लंघन करता हो, उनके अवसर प्रदान करने के पश्चात रद्द कर दिया जाएगा।

44. **अन्य भंडारणों का प्रदाय -** कोई वायुयान प्रचालक, सुरक्षा स्क्रीनिंग किए बिना वायुयान में उपयोग के लिए किसी मद को वायुयान में नहीं लादेगा।

भाग 8 - सुरक्षा दुर्घटनाएं/घटनाएं

45. **सुरक्षा दुर्घटना या घटनाओं की रिपोर्टिंग -** प्रत्येक वायुयान प्रचालक, विमानन सुरक्षा समूह, वायुयान क्षेत्र प्रचालक, विनियमित अभिकर्ता, खान-पान संस्थापनों के स्वामी या प्रचालक को, सुरक्षा दुर्घटना या सुरक्षा घटनाओं के घटने पर, तत्काल आयुक्त को सुरक्षा दुर्घटना या सुरक्षा घटना की रिपोर्ट करनी होगी।

46. **सुरक्षा दुर्घटना या घटना की जांच - (1)** आयुक्त किसी सुरक्षा दुर्घटना या सुरक्षा घटना की जांच का आदेश दे सकेगा और सुरक्षा जांच अधिकारी नियुक्त करेगा जो सहायक सुरक्षा आयुक्त की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा।

(2) जांच अधिकारी, चूककर्ता व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और इसकी रिपोर्ट आयुक्त को देगा, जो उसे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

47. **जांच अधिकारी की शक्तियां -** जांच के प्रयोजन के लिए, किसी जांच अधिकारी को निम्न शक्तियां प्राप्त होगी -

- (क) सूचना द्वारा, किसी व्यक्ति की अपेक्षित उपस्थिति;
- (ख) किसी भी ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा, जो उसके द्वारा दिए गए कथन की सही प्रकृति की बावत घोषणा कर सके तथा उस पर हस्ताक्षर करें;
- (ग) बहियां, कागजातों, दस्तावेजों तथा वस्तुओं को तैयार करने की अपेक्षा करना;
- (घ) किसी वायुयान या स्थान की जांच तथा पहुंच रखा।

भाग 9- साधारण

48. **निरीक्षण -** आयुक्त द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, सभी उपयुक्त समय पर किसी भी स्थान या वायुयान में जहां पहुंच आवश्यक है प्रवेश कर सकेगा, तथा वह इन नियमों के उपबंधों के सुरक्षा अनुपालन के प्रयोजन के लिए, सुविधाओं, सेवाओं, उपस्करों दस्तावेजों और रिकार्डों का निरीक्षण करेगा।

[फा. सं. एवी-11012/001/2009-एएस]

शभा ठाकर, निदेशक

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2012

G.S.R. 34(E).—Whereas certain draft of the Aircraft (Security) Rules 2011 were published as required by Section 14 of the Aircraft Act 1934 vide the notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation No. G.S.R. 109 dated 25 March, 2011 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub Section (i) dated 25 March, 2011 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before expiry of the period of forty-five days from the date of publication of the said rules in the Official Gazette;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public on the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4 read with section 5 of the Aircraft Act, 1934, the Central Government hereby makes following rules, namely :—

PART I – PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement – (1) These rules may be called the Aircraft (Security) Rules, 2011.

(2) They shall extend to whole of India and apply also to --

(a) an aircraft registered in India, and to persons on an aircraft operated by an operator who has his principal place of business or permanent residence in India, wherever they may be;

(b) all aircrafts in India.

(3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions – (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context;-

(a) “Act” means the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934);

(b) “aerodrome operator” means a person, organisation or enterprise responsible for operation and management of an aerodrome;

(c) “aerodrome entry permit” means the photo identity card, smart card or temporary permit issued by the Commissioner of Security (Civil Aviation), Bureau of Civil Aviation Security, Ministry of Civil Aviation or any person authorised by the Central Government for entry into the aerodrome or part of an aerodrome;

(d) "aircraft operator" means a person, organisation or enterprise engaged in or offering to engage in an aircraft operation;

(e) "acts of unlawful interference" means acts or attempted acts to jeopardise the safety of civil aviation and air transport, including-

(i) unlawful seizure of aircraft in flight;

(ii) unlawful seizure of aircraft on the ground;

(iii) hostage-taking on board aircraft or on aerodromes;

(iv) forcible intrusion on board an aircraft, at an aerodrome or on the premises of an aeronautical facility;

(v) introduction on board an aircraft or at an aerodrome of a weapon or hazardous device or material intended for criminal purposes;

(vi) communication of false information with a view to jeopardise the safety of an aircraft in flight or on the ground, of passengers, crew, ground personnel or the general public, at an aerodrome or on the premises of a civil aviation facility;

(f) "airside" means the movement area of an aerodrome, adjacent terrain and buildings or portions thereof access to which is controlled;

(g) "Commissioner" means the Commissioner of Security (Civil Aviation), Bureau of Civil Aviation Security, Ministry of Civil Aviation who shall be appropriate authority for the requirements of Annex 17;

(h) "Aviation Security Group" means an unit of specialised Government agency authorised by the Commissioner to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference and protection of property at the aerodrome handling civil aviation;

(i) "cabin baggage" means a baggage intended for carriage in the cabin of an aircraft;

(j) "Convention" means the Convention relating to International Civil Aviation signed at Chicago on the 7th day of December, 1944;

(k) "express cargo" means goods other than mail and accompanied or baggage involuntarily or inadvertently separated from passengers or crew which is required to be carried on priority basis by an aircraft operator;

(l) "In-flight security officer" means Government security personnel deployed on board an aircraft for maintaining security of aircraft against any acts of unlawful interference;

(m) "mail" means dispatches of correspondence and other objects tendered by and intended for delivery to postal administrations;

(n) "movement area" means the area of an aerodrome which is intended for the surface movement of an aircraft and includes the manoeuvring area and aprons;

(o) "national civil aviation security programme" means such programme established by any officer authorised by Central Government in this behalf to give effect to any annex of the Convention with the prior approval of Central Government;

(p) "officer" means a person appointed or employed in any office by Government of India;

(q) "prohibited article" means an object which can be used to commit an act of unlawful interference and which has not been properly declared;

(r) "public aerodrome" means an aerodrome which has been licensed for use by public at large;

(s) "regulated agent" means an agent, freight forwarder or any other entity who conducts business with an operator and provides security controls that are accepted or required by the Commissioner in respect of cargo, courier and express parcels or mails to be transported by air;

(t) "screening" means the application of technical or other means which are intended to identify or detect weapons, explosives or other dangerous devices which may be used to commit an act of unlawful interference with civil aviation;

(u) "security" means a combination of measures, human and material resources intended to be used to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference;

(v) "security accident" means an occurrence which results in death or grievous hurt to a person or major damage to the property;

(w) "security clearance" means compliance with the security controls specified in the national civil aviation security programme with regard to any aircraft, person or object;

Explanation: - For the purposes of this clause "grievous hurt" shall have the meaning assigned to it in Indian Penal Code 1860;

(x) "security restricted area" means airside areas of an airport into which access is controlled to ensure security of civil aviation including passenger areas between the screening check point and the aircraft, the ramp, baggage mark up area, cargo sheds, mail centres, airside catering and aircraft cleaning premises;

(y) "security incident" in relation to civil aviation security means an occurrence, which takes place either on the ground or in flight, which results -

(i) in injury to a person, damage to property, fire and breakage;

(ii) contravention or breach of security laws, regulations, national civil aviation security programme and orders issued by the Central Government under the provisions of the Act;

(z) "security control" means the method by which the introduction of weapon, explosive or other dangerous device, article or substance, which may be used to commit an act of unlawful interference, can be prevented;

(za) "security programme" means written measures specified by the Commissioner to be adopted by an entity to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference;

(zb) "terminal" means the building or group of buildings and includes arrival building where screening of passenger, baggage, cargo and courier bag is done and boarding on aircraft takes place;

(zc) "unattended baggage" means baggage at an aerodrome with or without a baggage tag which is not picked up by or identified by a passenger or any other person;

(zd) "vital installation" means any facility on or connected with an aerodrome, which, if damaged or destroyed, would seriously impair the functioning of the aerodrome.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as is assigned to them in the Act.

3. Duties of Commissioner. - The Commissioner shall;-

(a) establish, develop, implement, maintain and review the national civil aviation security programme consistent with the provisions of Annex-17 to the convention to safeguard civil aviation operations against acts of unlawful interference and threat perception taking into account the safety, regularity and efficiency of flights;

(b) make order necessary to carry out the national civil aviation security programme;

(c) respond immediately to meet any increased security threat;

(d) define and allocate tasks and coordinate activities between the departments, agencies and other organisations of the State Government, aerodrome and aircraft operators and other entities concerned with or responsible for the implementation of various aspects of the national civil aviation security programme;

(e) establish a national aviation security committee or similar arrangements for the purpose of coordinating security activities between the departments, agencies and other organisations, aerodrome and aircraft operators and other entities concerned with or responsible for the implementation of various aspects of the national civil aviation security programme;

(f) establish, develop and implement national civil aviation security training programme for personnel of all entities involved with or responsible for the implementation of various aspects of the national civil aviation security programme which shall be designed to ensure the effectiveness of the said security programme;

(g) designate an authority at each aerodrome serving civil aviation who shall be responsible for coordinating the implementation of security controls;

(h) establish aerodrome security committee at each aerodrome serving civil aviation for coordinating the implementation of security controls and procedures as specified in the aerodrome security programme;

- (i) develop, implement and maintain a national civil aviation security quality control programme to determine compliance with and validate the effectiveness of its national civil aviation security programme;
 - (j) arrange for security audit, test, survey and inspection to be conducted on a regular basis, to verify compliance with the national civil aviation security programme and to provide for immediate and effective rectification of any deficiency;
 - (k) establish and implement policy and procedure to adjust relevant element of its national civil aviation security programme accordingly, based upon a security risk assessment carried out by the national security agencies.
4. **Appeals.**—If any person is aggrieved by an order passed by an officer in exercise of a powers conferred on him by these rules, he may prefer an appeal to the Central Government.

PART II – SECURITY MEASURES AT AERODROMES

5. **Planning, design and layout of the Aerodrome security requirement –**

(1) The planning, design and layout of the aerodrome shall be according to the specifications provided in the national civil aviation security programme including,-

- (a) security control applied to passenger, baggage, cargo, courier, express parcel, mail, catering store and supply;
- (b) protection and control of access to airside , security restricted area and other sensitive aerodrome area and facility;
- (c) the use of security equipment; and
- (d) architectural and infrastructure related requirements.

(2) Every aerodrome operator shall establish security restricted area at aerodrome serving civil aviation in accordance with the security risk assessment carried out by the Commissioner.

(3) Aerodrome operator shall make aerodrome design mentioned in the national civil aviation security programme by integrating the design and construction of new facilities and alterations to existing design and facilities at aerodromes shall be carried out after obtaining in writing the approval of the Commissioner.

6. **Aerodrome perimeter,**— Every aerodrome operator shall construct a perimeter wall of the height of 2.438 meter (8ft) with overhung fence of 0.457 meter (1.5 ft) around the aerodrome :

Provided that the Commissioner, keeping in view the threat or any other reason, may by order, increase the specification of the perimeter wall.

7. Provision of lighting, road for patrolling and observation post – The aerodrome operator shall make the following security arrangements at the aerodrome, namely:—

- (a) lighting for perimeter and any other sensitive area;
- (b) all-weather road for patrolling by the security personnel; and
- (c) observation or command posts for the security personnel:

Provided that the Commissioner may, taking into consideration the security perceptions make such order in writing as may be deemed appropriate for security arrangements.

8. Aerodrome security programme.—Every aerodrome operator shall, with the approval of Commissioner, make and comply with aerodrome security programme in accordance with the national civil aviation security programme and any amendment to such programme shall be made after the approval of the Commissioner.

9. Security clearance for operations at aerodrome. – (1) No aerodrome operator shall commence operation at aerodrome without obtaining the clearance of security arrangements and the approval of the aerodrome security programme from the Commissioner.

(2) Where the Commissioner is satisfied that any aerodrome operator has contravened or failed to comply with the provision of these rules, he may, after giving him an opportunity of being heard, and for reasons to be recorded in writing, suspend or cancel the security clearance and security programme granted or approved by him.

10. Handling of unattended or suspect baggage. – The aerodrome operator shall –

- (a) construct and maintain a protected and isolated area for placing a suspect or unattended baggage; and
- (b) get the same investigated and disposed off.

11. Business establishment at aerodrome – No aerodrome operator shall allow the setting up of any business establishment in the security restricted area of aerodrome without obtaining security clearance in this regard from the Commissioner:

Provided that where any business establishment is established in the security restricted area after the approval of the Commissioner, the owner of the business establishment shall make and comply with business establishment security programme in accordance with the national civil aviation security programme.

12. Protection of facilities owned by aerodrome operator. – Every aerodrome operator shall demarcate and protect all vital installations owned by him including technical and maintenance, power supplies, electrical sub-stations, control towers and other buildings used by air traffic services and communication facilities.

13. Aviation Security Group. – (1) Every aerodrome operator shall engage such number of personnel of Government security agency as may be determined by the Commissioner for performing security duties assigned to it under these rules.

(2) The personnel engaged under sub-rule (1) shall be designated as Aviation Security Group and chief of such group shall be designated as Chief Aerodrome Security Officer.

(3) The Aviation Security Group shall work under the general supervision and direction of the aerodrome in-charge.

(4) The aerodrome operator shall provide such facility and support to the Aviation Security Group as may be approved by the Commissioner.

(5) In emergent situations, the Commissioner may make necessary changes in the deployment of Aviation Security Group.

14. Duties of the Chief Aerodrome Security Officer. – The Chief Aerodrome Security Officer shall perform following duties, namely:-

- (i) safeguarding of passengers, crew, ground personnel and other aerodrome users, aircraft, aerodrome and related facilities including vital installations;
- (ii) enforcement of access control measures into the restricted area of the aerodrome;
- (iii) security of perimeter;
- (iv) screening of passengers and their hand baggage;
- (v) surveillance within and around aerodrome area;
- (vi) enforcement of security measures including car parks, viewing gallery, aerodrome restaurant and areas close to movement area;
- (vii) enforcement of security measures;
- (viii) maintenance of order and discipline in the aerodrome premises;
- (ix) supervise the movement of persons in the restricted areas;
- (x) maintenance of liaison with local police and intelligence agencies; and
- (xi) any other duty assigned by the Commissioner.

15. Ground handling service. – No ground handling service provider shall be allowed to provide ground handling services at any aerodrome without obtaining the security clearance and the approval of its security programme from the

16. Contingency Plan. —

- (1) The aerodrome operator shall make contingency plans to deal with acts of unlawful interference with the approval the Commissioner.
- (2) The contingency plan shall be tested at such regular intervals as may be specified by the Commissioner.

17. Disembarkation of unruly passenger.—The Chief Aerodrome Security Officer or any other officer of Aviation Security Group authorised by him in this behalf shall, on a written request of the Pilot-in-Command, disembark any person from the aircraft on grounds of risk to safety and security of the passengers and the crew.

PART III – AERODROME ACCESS CONTROL

18. Entry into aerodrome. — (1) The entry into aerodrome shall be permissible only to the persons having admission ticket or aerodrome entry permit.

- (2) The entry ticket to the aerodrome shall be issued by the aerodrome operator.
- (3) The aerodrome entry permit shall be issued by the Commissioner after due verification.
- (4) The Central Government may direct the Commissioner or aerodrome operator or any other person to issue such admission ticket or aerodrome entry permit.
- (5) No person shall enter into aerodrome without obtaining an admission ticket or aerodrome entry permit.
- (6) The aerodrome entry permit shall be displayed by the holder conspicuously above waist level at all times while on duty.
- (7) No person shall —
 - (a) leave or throw or cause to be thrown any animal, bird or object,
 - (b) cause any animal under his possession or control to stray, and
 - (c) operate any vehicle without entry permit from the Commissioner in the movement area:

Provided that a passenger in the process of embarking, disembarking or in transit holding an air ticket or any person who is engaged on regular duty at an aerodrome and holds an aerodrome entry permit issued by the Commissioner shall not be required to obtain the admission ticket or entry permit.

- (8) The aerodrome entry permit shall be surrendered to the Commissioner or to any person authorised by the Central Government in this behalf, upon its expiry or cancellation or upon termination of employment of the person to whom it is issued.

(9) Notwithstanding anything contained in this rule, the aerodrome operator or the Commissioner, may, if he is satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of security, —

- (i) refuse admission to any person in the aerodrome; or
- (ii) require any person to leave the aerodrome.

19. Entry into security restricted area.—(1) The aircraft operator shall make arrangement for movement of person and vehicles to and from the aircraft in security restricted areas at each aerodrome.

(2) Before granting access to security restricted areas, the aviation security group shall screen every person, vehicle, baggage, belongings or supplies.

(3) The entry of vehicles in the security restricted area shall be permissible after obtaining entry permit or special permission from the Commissioner.

20. Prohibition to carry weapons or explosive. — (1) No person shall enter aerodrome or the aircraft with any arm, ammunition or explosive:

Provided that the provisions of this sub-rule shall not be applicable,-

- (i) to the Aviation Security Group, Armed Forces and Police personnel required to carry their arms or ammunition in connection with the performance of their duties; and
- (ii) to such dummy weapon, explosive, explosive device or any other dummy prohibited item, duly authorised by the Commissioner, for the purpose of testing the efficacy of aviation security.

PART IV – PRE-EMBARKATION SECURITY CHECKS

21. Security check before embarkation. — (1) Before embarkation, every originating passenger and transfer passenger boarding an aircraft and his hand baggage, if any, shall be screened by an officer of the Aviation Security Group or an officer duly authorised in this behalf by the Commissioner.

(2) The provisions of sub-rule (1) shall be applicable to the transit passengers only if they disembark from the aircraft:

Provided that the provisions of sub-rule (1) and this rule shall not be applicable to such persons as may be specified by the Commissioner by a special order.

(3) Aviation Security Group and aircraft operator shall protect the passenger and cabin baggage from unauthorised interference from the point of screening to boarding the aircraft.

22. Certification of screener. — The screening duty shall be performed by such officer who has been certified by the Commissioner.

23. Prohibition on carriage of certain goods. – (1) The Commissioner may by an order in writing prohibit the carriage of certain goods on person or in cabin baggage of a passenger and crew member which, in his opinion, is likely to be used for committing unlawful interference with civil aviation.

(2) where prohibited goods are detected during screening, the passenger shall not be allowed to board the aircraft and action may be taken against him in accordance with the provisions of these rules or any other law for the time being in force.

PART V – SECURITY MEASURES BY AIRCRAFT OPERATORS

24. Security Programme. – Every aircraft operator shall, with the approval of Commissioner, make and comply with aircraft operator security programme in accordance with the national civil aviation security programme and any amendment to such programme shall be made after the approval of the Commissioner.

25. Security clearance for operation. – (1) No aircraft operator shall commence operation at aerodrome without obtaining the clearance of security arrangements and the approval of the aircraft operator security programme under rule 24 from the Commissioner.

(2) Where the Commissioner is satisfied that any aircraft operator has contravened or failed to comply with the provisions of these rules, he may, after giving him an opportunity of being heard, and for reasons to be recorded in writing, suspend or cancel the security clearance and security programme granted or approved by him.

26. Deployment of staff. – An aircraft operator shall engage only those personnel for security duties who are whole time employees whose character and antecedents have been verified and who are employed after proper training, selection procedure and certification in accordance with national civil aviation security programme.

27. Security search of aircraft. – An aircraft operator shall carry out the search of his aircraft –

- (a) before taking it to security restricted area ; and
- (b) before boarding of passengers after disembarkation.

28. Access control to aircraft – (1) The aircraft operator shall control access to aircraft and maintain surveillance from the security check to the departure.

(2) The aircraft operator shall control the non-operational aircraft by keeping,-

- (i) cabin doors closed;
- (ii) aerobridges and ventral stairs secured, withdrawn or retracted ; and
- (iii) tamper evident sealed doors.

29. Closing of cockpit door.—Every aircraft operator shall,—

- (a) lock cockpit doors of aircraft during, all phases of flight, unless required to be opened for operational reasons;
- (b) establish and maintain communication system between the flight crew and cabin crew during flight; and
- (c) assign responsibility of access control of cock-pit to Pilot-in-command .

30. Deployment of In-flight security officer. — (1) Air craft operator shall carry such number of In-flight security officer on board a passenger aircraft, as the Commissioner may specify by an order in writing.

(2) Aircraft operator shall declare to the Pilot-in-command the number of armed persons and their seat location.

31. Security control for hold baggage. — (1) The aircraft operator or the aerodrome operator shall screen and protect the hold baggage in such a manner as may be specified by the Commissioner from time to time.

32. Identification and reconciliation of hold baggage. — An aircraft operator shall carry out the identification and reconciliation of hold baggage in such manner as may be specified by the Commissioner by an order in writing from time to time.

33. Transfer baggage. — The aircraft operator shall screen the transfer hold baggage before loading into an aircraft:-

Provided that the hold baggage screened at the point of origin and subsequently protected from unauthorised interference from the originating aerodrome to the departing aircraft at the transfer aerodrome shall not be subject to screening.

34. Carriage of prisoners in aircraft. — (1) The aircraft operator shall carry any prisoner, in such manner as may be specified by an order in writing by the Commissioner.

35. Carriage of cargo, mail, catering items and other stores. — The aircraft operator shall accept on board any cargo, mail, catering items and other stores and supplies in such manner as may be specified by the Commissioner.

36. Detention of aircraft. — The Commissioner or any other person authorised in this behalf by the Central Government may, for reasons to be recorded in writing, detain an aircraft if in his opinion,-

- (a) the aircraft has on board unauthorised arms, explosives or other sabotage devices which are likely to cause danger to the security of that aircraft; or
- (b) the aircraft has on board a person who has gained entry in unauthorized manner or is likely to cause unlawful interference with civil aviation operations; or
- (c) the detention is necessary to secure compliance with any of the provisions of these rules.

PART VI – CARGO, COURIER BAGS, MAIL AND REGULATED AGENT

37. Security control for cargo and courier bag. – (1) Any cargo, express cargo or courier bag intended to be carried on any aircraft, shall be received, processed and handled by regular employees who are trained in accordance with the national civil aviation security programme of aircraft operator or any other agency authorised by an order in writing by the Commissioner.

(2) No cargo shall be loaded on aircraft without making security controls including X-ray screening or physical search:

Provided that the Commissioner may by an order in writing exempt any cargo, express cargo or courier bag from the provisions of this rule.

38. Registration of courier agency. – No aircraft operator shall accept any courier bag for transportation from any agency unless such agency, –

(a) has registered as such with the aircraft operator ; and

(b) has made and complied with a security programme approved by the Commissioner.

39. Identification or reconciliation of the accompanied courier bags. – The identification or reconciliation accompanied courier bag shall be made by air craft operator in such manner as may be specified by the Commissioner from time to time.

40. Prohibition on carriage of certain goods. – (1) The Commissioner may, by order in writing, prohibit the carriage of certain items through cargo or courier bags or mail.

(2) The consignment containing prohibited article shall not be loaded on aircraft.

41. Protection of security cleared cargo or mail or courier bag etc. –The aircraft operator or airport operator or any other agency working for any of them shall screen and protect the cargo or mail or courier bag in such manner as may be specified by the Commissioner from time to time.

42. Regulated agent. – The aircraft operator may engage Regulated Agent for carriage of cargo, courier or mail to be carried by air, who shall function as per the procedure laid down by the Commissioner in writing from time to time.

PART VII-CATERING SUPPLIES AND STORES

43. Catering supplies.—(1) No person shall supply any catering item for loading in the aircraft without obtaining the approval of its security programme from the Commissioner.

(2) Where the Commissioner is satisfied that owner or operator of catering establishment has contravened the provisions of sub-rule (1), his security programme shall, after affording an opportunity of being heard, be cancelled.

44. Supply of other stores. — No aircraft operator shall load on the aircraft any item for use on the aircraft without security screening.

PART VIII – SECURITY ACCIDENTS / INCIDENTS

45. Reporting of security accident or incident. — Every aircraft operator, aviation security group, aerodrome operator, regulated agent and owner or operator of catering establishment shall report the security accident or security incident to the Commissioner immediately on the occurrence of the security accident or security incident.

46. Investigation of security accident or incident. — (1) The Commissioner may order investigation of any security accident or security incident and appoint an officer not below the rank of Assistant Commissioner of Security as Inquiry Officer.

(2) The Inquiry Officer shall, after affording an opportunity of being heard to the defaulting person, make a report to the Commissioner who should forward the same to the Central Government.

47. Powers of the Inquiry Officer. — For the purpose of inquiry an Inquiry Officer shall have power —

- (a) to require, by notice, the attendance of any person;
- (b) to require any such person to make and to sign a declaration regarding the true nature of the statements made by him;
- (c) to require the production of books, papers, documents and articles;
- (d) to have access to and examine any aircraft or place.

PART IX – GENERAL

48. Inspection. — Any person, authorised by the Commissioner in writing may, at all reasonable times, enter any place or aircraft to which access is necessary and to inspect the facilities, services, equipment, documents and records for the purpose of securing compliance with the provisions of these rules.

[F. No. AV. 11012/001/2009-AS]

SHUBHA THAKUR, Director